सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उडाने वाले 2743 चालकों के खिलाफ कार्रवाई

परिवहन विभाग ने प्रदेशभर में 2758 वाहनों के चालान भी काटे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेशभर में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर सरकार सख्ती बरत रही है। 4 से 18 नवंबर तक चलने वाले सड़क सुरक्षा अभियान में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब तक सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उडाने वाले 2743 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही 2758 वाहनों का चालान भी काटा गया है। परिवहन विभाग ने 15 हजार से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों की पालना के लिए जागरूक भी किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेशभर में पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।

- 15 हजार लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर जागरूक किया
- प्रदेशभर में 4500 से ज्यादा पुलिस के जवान सड़कों पर तैनात

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात डॉ. बी. एल. मीना ने बताया कि अभियान के पहले दिन शराब पीकर वाहन चलाने पर 307, तेज गति से वाहन चलाने पर 2743, गलत दिशा में वाहन चलाने पर 753, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 178, बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने पर 149, बिना नम्बर प्लेट वाहन चलाने पर 529 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर को 15 हजार 618 सड़क उपयोगकर्ताओं को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस विभाग के लगभग 4500 कार्मिक मौके पर तैनात रहे।

डॉ. मीना ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न राजमार्गों पर एनएच-48 मॉडल के अनुरूप लेन ड्राइविंग सिस्टम को लागू करने की दिशा में 135 पुलिस जाप्तों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। वहीं, 143 पुलिस जाप्ते लेन ड्राइविंग के नियमों को सुनिश्चित करने के लिए तैनात किए गए। इस दौरान नियमों की अवहेलना करने पर 49 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्रवाई भी की गई।

इसी तरह परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने अभियान के पहले व दूसरे दिन (4 व 5 नवंबर) कार्रवाई करते हुए प्रदेश में नियमों का उल्लंघन करने पर 2758 वाहनों के चालान किए। इस दौरान मालवाहक वाहनों पर ओवरलोडिंग के 193, इन वाहनों में यात्री पाए जाने पर 85 तथा अन्य नियमों के उल्लंघन करने पर 1819 मालवाहक वाहनों के चालान कर कार्रवाई की गई। यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री पाए जाने पर 42, छत पर सामान रख संचालन करने पर 6 बसों तथा अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर 181 यात्री वाहनों का चालान किया। अभियान के दौरान परिवहन विभाग द्वारा 83 व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए, 7 वाहनों का परमिट भी कैंसिल किया गया तथा 116 वाहनों को सीज किया गया है। इस दौरान अन्य प्रकरणों में भी विभाग द्वारा चालान किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि इस अभियान का उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं मृत्यु दर घटाना, यातायात नियमों के पालन को सख्ती से लागू करना, सड़क अधोसंरचना एवं आपातकालीन सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करना, सड़क उपयोगकर्ताओं में जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना है।

2047 के विजन की बात लेकिन स्कूलों के लिए कल की प्लानिंग भी नहीं : हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि ''चुनावी वादों की तरह नहीं धरातल पर काम करें''

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग मरम्मत को लेकर राज्य सरकार की ओर से पेश रोडमैप को शिक्षा सचिव के शपथ पत्र के साथ पेश करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने रोडमैप को अधूरा बताते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई।

अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार साल 2047 के विजन की बात करती है, लेकिन स्कूलों को लेकर कल की प्लानिंग ही नहीं है। इसके साथ अदालत ने मामले में राज्य सरकार को 24 नवंबर को अलग-अलग मद में बजट की जानकारी देने को कहा है। अदालत ने कहा कि स्कूल भवनों का इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कूल सेफ्टी नियमों के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।

जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत के बाद लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश की स्कूलों में करीब 86 हजार कमरे क्षितग्रस्त बताए जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि इन सभी कमरों को ठीक कैसे किया जाएगा। इसके अलावा निर्माणाधीन बिल्डिंग और मरम्मत का बजट भी अलग-अलग नहीं बताया गया है। अदालत ने कहा कि चुनावी वादों की तरह नहीं, धरातल पर काम किया जाना चाहिए। बजट में स्कूल और कॉलेज खोलने की घोषणाएं होती हैं, लेकिन इन्हें वहां खोला जाए, जहां इनकी वास्तव में जरूरत हो। अदालत ने कहा कि एनसीपीसीआर की 2021 की गाइड लाइन और सुप्रीम कोर्ट की ओर से अविनाश भारद्वाज के मामले में दिए आदेश के अनुसार मरम्मत का काम किया जाए।

राष्ट्रगीत ''वंदेमातरम्'' के 150 वर्ष पूर्ण होने की पूर्व संध्या पर गुरूवार को जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति पर मशाल जुलूस निकाला गया। इस मौके पर सांसद मंजू शर्मा,भाजपा प्रदेश मंत्री भूपेन्द्र सैनी और जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उपमहापौर पुनीत कर्णावट समेत कई लोग मौजूद थे।

नेशनल व स्टेट हाइवे सहित सर्विस लाइन से अतिक्रमण हटाएं, सीधी खुलने वाली दुकानें और अवैध कट बंद करें : हाईकोर्ट

उच्च न्यायालय ने प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर सख्ती बरतने के आदेश दिए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर सख्ती बरतते हुए नेशनल व स्टेट हाइवे सहित इनकी सर्विस लाइन से सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि हाईवे पर जहां सर्विस या स्लिप लेन नहीं है, वहां इनका निर्माण किया जाए। अदालत ने कहा कि हाईवे पर जो भी वाहन आए वह सीधे ही उसमें नहीं मिले, बल्कि स्लिप या सर्विस लेन के जरिए आए।

वहीं हाइवे पर सीधे तौर पर खुलने वाली दुकानों को बंद करने और इनका गेट हाइवे की बजाय दूसरी ओर करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा केन्द्र व राज्य सरकार से हाईवे पर वाहनों के लेन सिस्टम व डीजीपी से पेट्रोलिंग करवाए जाने के संबंध में आगामी सुनवाई पर रोडमैप और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान पेश करने के लिए कहा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस जीएस संधू की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश गुरुवार को अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा की पत्र याचिका पर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि नेशनल व स्टेट हाइवे पर जल्द ही पेट्रोलिंग सिस्टम लागू किया जाए। खंडपीठ ने कहा कि हाइवे पर सीधे ही दुकानें खुलने से उनके सामने वाहन खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही हाल हाइवे की सर्विस लाइनों का भी है और वहां भी दो पहिया सहित अन्य वाहन खड़े रहते हैं।

ऐसे में इन दुकानों का गेट हाइवे की बजाय दूसरी ओर खोला जाए ताकि वाहनों की पार्किंग से यातायात बाधित नहीं हो। वहीं हाइवे के अवैध कट भी बंद किए जाए। अदालत ने सिटी रोड पर भारी वाहन आने पर भी सवाल उठाया। अतिक्रमण हटाने में जरूरत हो तो फोर्स की मदद ली जाए। सुनवाई के दौरान एएसजी भरत व्यास ने कहा कि मामले मे साल 2010 के रूल्स की क्रियांविति कराई जाएगी। वहीं महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार भी सड़क हादसों को रोकने का प्रयास कर रही है और सीएम के स्तर पर भी तत्काल कार्रवाई की है। अदालत ने केन्द्र व राज्य सरकार का पक्ष जानने के बाद सीएम के प्रयासों की सराहना की।

''डोटासरा अंता उपचुनाव में भी थारा मोरिया बोलसी''

जयपुर । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा सदैव अनर्गल बयानबाजी करते है। उन्होंने कहा कि डोटासरा को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार में 5 साल तक अशोक गहलोत की कुर्सी बचाने के लिए गुटबाजी चली और यह आज तक चल रही है। कांग्रेस अलग-अलग गुटों डोटासरा कांग्रेस, गहलोत कांग्रेस, पायलट कांग्रेस, टीकाराम जूली कांग्रेस में बटी हुई है।

गोदारा ने कहा कि अंता में भारतीय जनता पार्टी का आज रोड़ शो हुआ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पार्टी का यह ऐतिहासिक रोड शो था। जो भारतीय जनता पार्टी की अंता उपचुनाव में भारी मतों से जीत का संकेत है। उन्होंने कहा कि पिछले साल के उपचुनाव की तरह ही भारतीय जनता पार्टी अंता उपचुनाव भी जीतेंगी। डोटासरा , लोगा का मोरिया बुलावता, पिछला उप चुनाव में थारा मोरिया बोल्या। अब की अंता में भी थारा मोरिया बोलसी।

'ओ.बी.सी. आरक्षण कम करने की साजिश'

जयपुर। ऑल इंडिया कांग्रेस ओ.बी.सी. विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक एवं स्टेट ओबीसी एडवाईजरी काउंसिल के सदस्य राजेन्द्र सैन ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार, पंचायत तथा नगर निकाय चुनावों से पूर्व ओबीसी आरक्षण सर्वे के नाम पर ओबीसी आरक्षण को कम करने की साजिश रच रही है। सैन ने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण सर्वे में परिवार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बताने की क्या आवश्यकता है। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में अब आयोग ओबीसी परिवारों का सर्वे में परिवार के मुखिया और सदस्यों का नाम, उम्र जेंडर, शैक्षिणक योग्यताएं, परिवार की आजीविका के साधन, जन आधार, बीपीएल श्रेणी, खाद्य सुरक्षा लाभार्थी के अलावा परिवार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कॉलम भी भरना होगा। आबादी के आंकड़ों के आधार पर ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए, परंतु ओबीसी आरक्षण आंकड़े आने से पूर्व ही सरकार राजनीतिक तौर पर ओबीसी आरक्षण देने की अधिकतम सीमा 21 प्रतिशत देने की घोषणा कर दी। सैन ने कहा कि प्रदेश में ओबीसी जनसंख्या लगभग 55 से 60 प्रतिशत है तो आरक्षण कम क्यों? सैन ने कहा कि ओबीसी आरक्षण आबादी के आधार पर मिलना चाहिए। पूर्व में ही जब 21 प्रतिशत आरक्षण मिला था तो ओबीसी जनसंख्या सर्वे के नाम पर करोड़ों रु. खर्च करने से क्या फायदा है।

50 स्थानों से हटाए अस्थाई अतिक्रमण

जयपुर। नगर निगम जयपुर हैरिटेज ने परकोटे क्षेत्र में गुरुवार को अस्थाई अतिक्रमणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सतर्कता शाखा ने उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में अभियान चलाते हुए 50 स्थानों से अतिक्रमण हटाए और 8 ट्रक सामान जब्त किया। कार्रवाई के दौरान निगम टीम ने 22 हजार 400 रुपए कैरिंग चार्ज भी वसूल किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर व गुजरात जाएंगे

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को एक दिवसीय यात्रा के तहत उदयपुर और गुजरात दौरे पर रहेंगे।

मुख्यमंत्री इस दौरान भगवान बिरसा मुण्डा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष के तहत चल रहे आयोजनों की उदयपुर में समीक्षा करेंगे। साथ ही, 150वीं जयंती से संबंधित प्रस्तावित विशेष समारोह की तैयारियों को लेकर भी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से चर्चा करेंगे।

इसके पश्चात शर्मा गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थल पर राष्ट्रीय एकता दिवस एवं भारत पर्व 2025 को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे।

आरपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन श्रोत्रिय की अपील पर सरकार व आरपीएससी को नोटिस

859 पदों की ''सब इंस्पेक्टर भर्ती: 2021 पेपर लीक'' मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 859 पदों की एसआई भर्ती: 2021 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन संजय श्रोत्रिय की अपील पर राज्य सरकार, आरपीएससी व मूल याचिकाकर्ता कैलाश चन्द्र शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

वहीं मामले को चयनित अभ्यर्थी विक्रम सिंह की अपील के साथ संलग्न करते हुए 24 नवंबर को इसकी सुनवाई तय की है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश तत्कालीन आरपीएससी चेयरमैन संजय श्रोत्रिय की अपील पर गुरुवार को दिया। इस अपील में एकलपीठ के 28 अगस्त वाले आदेश को चुनौती दी है।

अपील में कहा कि एकलपीठ ने उनका पक्ष जाने बिना ही उनके खिलाफ तल्ख टिप्पणियां की और उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं। प्रार्थियों ने उन्हें याचिका में पक्षकार नहीं बनाया है, एसओजी ने भी चार्जशीट में उनके खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं पाए हैं। उनके खिलाफ चार्जाशीट पेश नहीं की है और एकलपीठ ने बिना कोई ठोस सबूत व उन्हें सुने बिना आदेश दिया और टिप्पणी की। ऐसा करना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ व प्राकृतिक न्याय के सिद्दांतों का उल्लंघन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की एसएलपी पर 24 सितंबर के आदेश से हाईकोर्ट की खंडपीठ के 8 सितंबर के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग कराने की छूट दी थी। साथ ही खंडपीठ को कहा था कि वह मामले में दायर अपीलों का निपटारा तीन महीने में करे।

युवक का अपहरण कर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी

विरोध करने पर लाठी-डंडों से की मारपीट, जान से मारने की धमकी देकर फरार हुए बदमाश

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । खोह नागोरियान थाना इलाके में एक युवक का अपहरण कर पन्द्रह लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिना नंबर की कार से आए नकाबपोश बदमाशो ने उसका अपहरण किया और विरोध करने पर लाठी-डंडों से मारपीट कर धमकी देकर फरार हो गए। इस संबंध में पीड़ित थाने पहुंचा और कार सवार 4 अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है।

- जयपुर के खोह नागोरियान क्षेत्र में कार सवार नकाबपोश बदमाशों की वारदात

थानाधिकारी ओमप्रकाश मातवा ने बताया कि खोह नागोरियान के लूनियावास निवासी कैलाश मीना ने मामला दर्ज करवाया है कि गत दो पहले वह लूनियावास से जा रहा था।

इस दौरान बिना नंबर की कार आगे आकर रुकी। कार से उतरे चार बदमाशों ने जबरन उसको पकड़ कर जबरन कार में पटककर ले गए। इसके बाद मुंह पर कपड़ा बांध रखा और विरोधर कर जमकर मारपीट की। इसके बाद लाठी-डंडे व कुल्हाड़ी से लैस उसे सुनसान जगह ले गए।

जहां नकाबपोश बदमाशों ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। विरोध करने पर लाठी-डंडों से उसके साथ मारपीट की और फिर जान से मारने की धमकी देकर उसे छोड़कर फरार हो गए। थानाधिकारी मातवा ने बताया कि पीड़ित के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला आपसी लेनदेन का प्रतीत हो रहा है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है।

जनता को सही सूचना, समय पर और सरल भाषा में मिले : सुधांश पंत

मुख्य सचिव ने जनसम्पर्क सेवा के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंस

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत ढांचे के विकास और आमजन के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कार्य कर रही है। ऐसे में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने जनसंपर्क सेवा के अधिकारियों को संबंधित जिलों और विभागों में ऑनरशिप लेकर प्रोएक्टिव और अग्रेसिव एप्रोच के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने खबरों में कंटेंट को महत्व देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कंटेंट में ह्यूमन एंगल होगा तो वह लोगों को पसंद आएगा। उन्होंने जनसम्पर्क सेवा के अधिकारियों को नैरेटिव निर्माण और इमेज बिल्डिंग के लिए बढ़-चढ़कर भागीदारी के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव पंत गुरुवार को शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के तहत सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनसम्पर्क सेवा के अधिकारियों पर कार्यक्रमों व गतिविधियों के कवरेज के साथ-साथ जनता में विश्वास और विश्वसनीयता का संचार करने का महती दायित्व है।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गुरुवार को शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर आयुक्त एवं शासन सचिव संदेश नायक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

- मुख्य सचिव ने जनसंपर्क अधिकारियों को ऑनरशिप के साथ कार्य का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए
- सुधांश पंत ने कहा कि ''सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है राज्य सरकार की आंख, नाक और कान है।''

सलाहकार की भूमिका निभाएं पी.आर.ओ.

मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी कार्य के दायरे को बढ़ाते हुए अपने विभागों और जिलों में सचिव, कलक्टर एवं मंत्रीगण के सलाहकार की भूमिका अपनाते हुए प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करें। उन्होंने गलत खबरों को वेरीफाई कर समयबद्ध तरीके से उनके फैक्ट चैक, खंडन, तथ्यात्मक रिपोर्ट जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने फैक्ट चैक और खंडन जैसी कार्यवाही से सभी प्रकार के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित गलत खबरों के संदर्भ में वास्तविक और तथ्यात्मक स्थिति पर आधारित समाचार तैयार कर आमजन तक सही-सही जानकारी प्रसारित करने पर भी बल दिया। साथ ही मीडिया स्ट्रेटेजी बनाकर प्रचार-प्रसार के कार्यों को गति देने के निर्देश दिए।

सोशल मीडिया हैंडल्स की रीच बढ़ाएं

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के युग में जनसंपर्क अधिकारी का रोल और अधिक अहम और उनकी जवाबदेही 247 हो जाती है। अत: गलत एवं भ्रामक खबरों को रोकने के लिए ये आवश्यक है कि आमजन तक भ्रामक और तथ्यहीन खबरों की सही जानकारी समयबद्ध रूप से पहुंचे।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रीच बढ़ाने के लिए टारगेटेड एप्रोच के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खबरों में कंटेंट को प्रभावी बनाने के लिए तथ्यों, विकास कार्यों और उपलब्धियों की गत वर्षों से तुलना कर खबर को तुलनात्मक एवं सकारात्मक संदर्भ रूप में जारी करें।

उन्होंने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को राज्य सरकार की आंख, नाक, कान बताते हुए भ्रामक एवं तथ्यहीन नकारात्मक खबरों पर संबंधित विभाग का पक्ष पूरी बेबाकी से रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को फोटो, वीडियो, उपलब्धियों और सफलता की कहानियों का निरंतर संकलन कर कंटेंट बैंक तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे महत्वपूर्ण अवसरों पर विशेष कंटेंट निर्माण में उनका उपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विज्ञापनों में प्रभावी कंटेंट का समावेश कर उन्हें और अधिक सारगर्भित बनाएं।

इससे पहले सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव संदेश नायक ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के प्रचार-प्रसार कार्यों एवं गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया।

बैठक में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) डॉ. गोरधन लाल शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (पुलिस मुख्यालय) डॉ. कमलेश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (सूजस) नर्बदा इंदोरिया, संयुक्त निदेशक मनमोहन हर्ष, जसराम मीणा, रजनीश शर्मा, उपनिदेशक तरूण जैन, ओटाराम चौधरी, अजय कुमार, विजय खंडेलवाल, मुख्य फोटो अधिकारी छोटूलाल जीनगर एवं सहायक निदेशक आशीष कुमार जैन उपस्थित रहे।

बैठक में प्रदेश के समस्त जिला जनसंपर्क कार्यालयों के जनसम्पर्क सेवा के अधिकारी एवं विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जनसम्पर्क सेवा के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

मिलावट के शक पर रेस्टोरेंट से लिए पनीर-काजू के सैंपल

जयपुर । प्रदेश में विभाग द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर पर्यटन एवं वैवाहिक सीजन के संदर्भ में सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने टोंक रोड स्थित मैसर्स बार.बी.क्यू . नेशन रेस्टोरेंट पर कार्यवाही करते हुए मिलावट का अंदेशा होने पर पनीर और काजू के सैंपल लिए।

- टोंक रोड स्थित मैसर्स बार.बी.क्यू . नेशन रेस्टोरेंट पर हुई कार्रवाई

सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि मार्केट से पनीर रुपए 240 प्रति किलो खरीदा जा रहा है। पनीर की इतनी कम रेट होने से घटिया क्वालिटी होने का अंदेशा होने पर पनीर का नमूना लिया गया। काजू की ग्रेवी तैयार करने के लिए जो काजू काम में लिया जा रहा था इसकी क्वालिटी भी खराब थी, जिससे काजू का नमूना भी लिया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। साथ ही रेस्टोरेंट में अनेक कमियां पाई गई। एक ही फ्रिज में वेज एंड नॉनवेज रखा हुआ था एवं किचन में एक ही प्लेटफॉर्म पर वेज और नॉनवेज भोजन तैयार किया जा रहा था।

गलता गेट पुलिस ने जब्त किए 14 वाहन

जयपुर । गलता गेट पुलिस ने 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए ओवर लोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाने वाले व सात भारी वाहन एवं एक खुली जीप जब्त की। पुलिस ने 5 ओवर लोडिंग वाहन, बिना नंबर ओवरलोडिंग वाहन एवं एक ट्रक चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने ओपन जीप में शराब पीकर उत्पात मचाने वाले चालक को गिरफ्तार कर ओपन जीप को जब्त कर लिया। पुलिस उपायुक्त उत्तर करन शर्मा ने बताया कि राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए उनकी रोकथाम के लिए के लिए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। जिसकी शुरुआत 4 नवंबर को की गई।